न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक : 1852-एक/2001 - विरूद्ध आदेश दिनांक 5-7-2001- पारित द्वारा - अपर बंदोवस्त आयुक्त, ग्वालियर मध्य प्रदेश - प्रकरण क्रमांक 21/1997-98 अपील

1- मंगलेश्वर सिंह पुत्र गुलाब सिंह
2- पुष्पराज सिंह पुत्र मंगलेश्वर सिंह
ग्राम मटिहानी तहसील सिहावल
जिला सीधी, मध्यप्रदेश ---अपीलांट्स

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---रिस्पांडेन्ट

(अपीलांट्स के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(रिस्पाण्डेन्ट के पैनल लायर श्री आर0पी0पालीवाल)

आ दे श

(आज दिनांक 15 - 11 -2017 को पारित)

यह अपील अपर बंदोवस्त आयुक्त, ग्वालियर मध्य प्रदेश के प्रकरण क्रमांक 21/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-7-2001 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलांट्स ने बंदोवस्त अधिकारी सीधी को आवेदन देकर मांग की कि ग्राम मीटहनी के पुराना खसरा क्रमांक 58 नया नंबर 324, 325, 326 एंव 332 (जिस पर उनका स्वत्व है) में से मानांक क्रमांक 324 एंव 332 पर स्वत्व अंकित किया गया है एंव खसरा क्रमांक 325 एंव 326 पर मध्य प्रदेश शासन अंकित किया गया है जो त्रृटिपूर्ण इसलिये संहिता की धारा

107 के अंतर्गत सुधार किया जाय। बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने प्रकरण कमांक 383/1996-97 अ-74 पॅजीबद्व किया तथा जांच उपरांत पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 28-10-1997 पारित किया एंव अपीलांट्स के आवेदन को अमान्य कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपीलांट्स व्दारा अपर बंदोवस्त आयुक्त, ग्वालियर मध्य प्रदेश के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर बंदोवस्त आयुक्त, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 21/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-7-2001 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने अपीलांट्स के आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच कराने पर पाया है कि ग्राम मीटहनी के पुराना खसरा नंबर 53 के अपीलांट्स भूमिस्वामी रहे हैं जिसके नये नंबर 324, 325, 327 एंव 332 निर्मित है । अपीलांट्स ने बंदोवस्त अधिकारी सीधी के समक्ष यह स्पष्ट नहीं किया है कि सर्वे कमांक 58 का कुल क्षेत्रफल कितना है। पूर्व के कुल क्षेत्रफल अनुसार नये नंबर कायम होने पर कितनी कमी हुई है यह भी नहीं बताया गया है जिसके कारण खसरा कमांक 325, 327 में चाहा गया नक्शा सुधार सही नहीं माना गया है। अभिलेख अनुसार ग्राम पैगमा के पुराने खसरा नंबर 89 से निर्मित नये नंबर 667 रकबा 0.17 एंव 668 रकबा 0.80 की स्थिति अपीलांट्स स्पष्ट नहीं कर सके हैं जबकि सर्वे नंबर 89 खसरा वर्ष 1983-84 से 1992-93 तक मध्य प्रदेश शासन ' **निस्तार प्रयोजन कबिस्तान हेतु सुरक्षित** ' भूमि पाई गई है जिसके कारण बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने आदेश दिनांक 28-10-1997 से अपीलांट्स व्दारा की गई नक्शा सुधार की मांग को अमान्य किया है और इन्हीं

कारणों से अपर बंदोवस्त आयुक्त, ग्वालियर मध्य प्रदेश ने प्रकरण कमांक 21/ 1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-7-2001 से बंदोवस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 28-10-1997 में हस्तक्षेप नहीं किया है। बंदोवस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 28-10-1997 में तथा अपर बंदोवस्त आयुक्त, ग्वालियर के आदेश दिनांक 5-7-2001 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती होने से अपील में हस्तक्षेप का की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर बंदोवस्त आयुक्त, ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारा प्रकरण कमांक 21/ 1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-7-2001 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर